





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
45/20	53,88,89,90,91,91ए,92,188 RTA	रुपरेल	दुबडी
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
निरंजन		बनाम	हरिप्रसाद

वकील :- मन्मथ सिंह जायसवाल एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22/20	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,91ए,92,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 24/8/2020 को पेश हो।	
24/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में विनांक 21/9/20 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
21/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में विनांक 13/10/20 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
13/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में विनांक 4/11/20 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
4/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में विनांक 7/12/20 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	



दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

30.7.24

पत्रावली भेजा गई। गंडील नदी एवं लकड़ नदी उपस्थित थी। न्यायालय के कदम-कदम कर लीन कर आकाज लगवाई गई। न्यायालय विस्तारित होने तक इंजिनर विजा गया। कोई उमठ नहीं हुआ। प्रकरण कदम हाजरी आका परती के मारिज विजा आका है। पत्रावली के शाल शमार लेकर काड नफिल तन्मील के नखिल सुतर हो।

~~XXXX~~